<u>विधान परिषद् के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मुकुल यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद् द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-6 का उत्तर।</u>

प्रश्न	उत्तर
6(क) क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-मैनपुरी एवं इटावा में कितने विकलांग लोगों को व्हिकल (ट्राई मोटर साईकिल) दी गई है?	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को नि:शुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत जनपद-मैनपुरी में 80 एवं जनपद-इटावा में 60 दिव्यांगजन को नि:शुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की गयी है।
(ख) व्हिकल प्रदान करने के उक्त दोनों जनपदों में क्या मानक रखे गये हैं?	उत्तर प्रदेश के पात्र दिव्यांगजन को नि:शुल्क मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने की नियमावली, 2020 में मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने हेतु निम्न मानक/शर्ते निर्धारित हैं:- **<u>(1)- दिव्यांगता की स्थिति -</u>** नियमावली के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ्य हो, संबंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो। **<u>(2)- क्षमता-</u>** दिव्यांगजन जिन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी है की "पात्रता' के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थितियों के अतिरिक्त, जनपद स्तर की तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण किया जायेगा और भौतिक परीक्षण में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही व्यक्ति को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने की

	अग्रेतर प्रक्रिया की जाएगी। जनपद स्तर की तकनीकी समिति में जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, उप-सम्भागीय परिवहन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी होंगे। इस समिति का गठन प्रत्येक जनपद में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु तकनीकी समिति के नाम से जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। **(3) आयु-**16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों इस योजना के अन्तर्गत पात्र होंगे। **(4) आय-**दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रू0 1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय हेतु तहसील द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र मान्य होगा। **(5)-अवधि-**इस योजना के अन्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जायेगा। योजना में लाभान्वित करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि दिव्यांगजन जिन्हें लाभान्वित किया जाना है, को भारत सरकार/स्थानीय निकाय/मा0 सासंद निधि/ मा0 विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों से उसे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से पूर्व में लाभान्वित नहीं किया गया हो।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग।